

जबरन विवाह अपराध है।

यह आपका
अधिकार है कि
आप किससे
विवाह करें।

बलात् विवाह यूनिट (Forced Marriage Unit) से संपर्क करें। कॉल करें: 0207 008 0151 पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार कामकाज के घंटों के बाद वैश्विक प्रतिक्रिया केंद्र (Global Response Centre) से संपर्क करें: 0207 008 1500
ईमेल: fmu@fco.gov.uk
वेबसाइट: www.gov.uk/forced-marriage



HM Government